

रजिस्ट्रेशन नं ० HP/13/SML/2000.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सीमदार, 11 सितम्बर, 2000/20 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विश्वायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 11 सितम्बर, 2000

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)-२/२०००-ले.ज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 17-8-2000 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट

भ्रष्ट ग्रान्तरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2000 के प्रधिनियम संख्यांक 20 के रूप में अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ महिन, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)

2000 का अधिनियम संख्यांक 20.

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2000

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 17 अगस्त, 2000 को यथा प्रनुभोदित)

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 (1984 का 3) का, और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण संशिक्षण नाम। निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2000 है।

1984 का 3 2. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 को धारा 36 का 36 में शब्द “मण्डलायुक्त” के स्थान पर “भवर सचिव” शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**Act No. 20 of 2000.****THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES (AMENDMENT) ACT, 2000**

(As Assented to by the President on 17th August, 2000)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 (Act No. 3 of 1984).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first year of the Republic of India, as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices (Amendment) Act, 2000.

Amendment of section 36. 2. In section 36 of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, for the words "Divisional Commissioner", the words "Under Secretary" shall be substituted.

3 of 19